समाचार.प्रकाषनार्थरू.

जीण्केण जायसवाल को सिटी इंजीनियर व एण्पीण सिंह को स्वास्थ्य अधिकारी के पद से हटाया

नगर निगम के इंजीनियरों को सौंपे नवीन दायित्व

झोन प्रभारियों के झोन में किये बदलाव

रतलाम 04 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम ने सिटी इंजीनियर श्री जीण्केण जायसवाल व स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंह को कार्य में लापरवाही बरतने व निरंतर षिकायतें प्राप्त होने पर पद से हटाते हुए श्री जायसवाल को प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी व श्री सिंह को झोन क्रमांक 2 का झोन प्रभारी नियुक्त किया।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियरों को नवीन दायित्व आगामी आदेष तक सौंपेते हुए प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री हनीफ षेख को जलप्रदाय विभागए कर्मषाला विभाग व लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 1 से 49 के समस्त निर्माण एवं संधारण कार्यए प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यास को प्रधानमंत्री आवास योजनाए एएचपीए बीएलसी घटक के समस्त कार्यए कालोनी सेलए अमृत योजना.सीवरेजए नाला सुदृढ़ीकरणए ग्रीन स्पेसए सीएम इन्फ्रा फेस 2 एवं 3ए मिनी स्मार्ट सिटीए सिटी ट्रांसपोर्टए जुलवानिया व करमदी टेªचिंग ग्राउण्ड संबंधी विकास कार्य व स्वच्छ भारत मिषन नोडल अधिकारीए प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री जीण्केण जायसवाल को प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारीए निर्वाचन प्रकोश्ठए जनगणनाए एसण्डीण्आरण्एफण योजनाए आईएचएचएलए नेहरू स्टेडियमए वूमन स्पोर्टस काम्पलेक्स व प्रस्तावित फुड जोन का दायित्व सौंपा है।

इसी तरह प्रभारी सहायक यंत्री श्री अरविन्द दषोत्तर को प्रभारी अधिकारी उद्यान व प्रभारी अधिकारी अमृत सागर झील संरक्षण योजनाए श्री एमण्केण जैन को लोक निर्माण विभाग के वार्ड क्रमांक 1 से 14 के समस्त विकास कार्यए सीएम इन्फ्र एवं मिनी स्मार्ट सिटी वार्ड क्रमांक 1 से 14ए कालोनी सेल वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 1 से 14 व निर्वाचन एवं जनगणना वार्ड क्रमांक 1 से 14 तकए श्री सत्यप्रकाष आचार्य को प्रभारी अधिकारी विकास षाखा व प्रभारी अधिकारी प्रकाष विभागए श्री ष्याम

कुमार सोनी को भवन अनुज्ञा वार्ड क्रमांक 1 से 49 तकए लोक निर्माण विभाग के वार्ड क्रमांक 15 से 32 के समस्त विकास कार्यए प्रधानमंत्री आवास योजनाए एएचपीए बीएलसी घटक के समस्त कार्यए कालोनी सेल वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 15 से 32ए अमृत योजना.सीवरेजए मिनी स्मार्ट सिटी अन्तर्गत आ०आर० 01 रोड संबंधित कार्य व जुलवानिया व करमदी टेª चिंग ग्राउण्ड संबंधी विकास कार्यए श्री अनवर कुरेषी को लोक निर्माण विभाग के वार्ड क्रमांक 33 से 49 के समस्त विकास कार्यए कालोनी सेल वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 33 से 49ए सीएम इन्फ्रा 3ए मिनी स्मार्ट सिटी अन्तर्गत आ०आर० 03 एवं 04 रोड संबंधित कार्यए स्वच्छ भारत मिषन के प्रभारी सहायक यंत्रीए अमृत सागर झील संरक्षण योजनाए नेहरू स्टेडियम व वूमन स्पोर्टस काम्पलेक्स का दायित्व सौंपा है।

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने उपयंत्री श्री भैय्यालाल चौधरी को जलप्रदाय विभाग वार्ड क्रमांक 1 से 25ए सुहास पंडित को वार्ड क्रमांक 26 से 49ए श्री राजेन्द्र मिश्रा को लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत मेन्टेनेंस कार्य के प्रभारी सहायक यंत्री वार्ड क्रमांक 1 से 49ए उपयंत्री वार्ड क्रमांक 1 से 8ए लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यए भवन अनुज्ञाए सीएम इन्फ्रा एवं मिनी स्मार्ट सिटीए कालोनी सेलए पीएमएवाय अन्र्तगत बीएलसीए निर्वाचन एवं जनगणनाए नेहरू स्टेडियम व वूमन स्पोर्टस काम्पलेक्सए श्री राजेष पाटीदार को उपयंत्री वार्ड क्रमांक 9 से 16ए लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यए भवन अनुज्ञाए सीएम इन्फ्रा एवं मिनी स्मार्ट सिटीए कालोनी सेलए पीएमएवाय अन्र्तगत बीएलसीए निर्वाचन एवं जनगणनाए अमृत सागर झील संरक्षणए जुलवानिया व करमदी टेª चिंग ग्राउण्ड संबंधी विकास कार्यए प्रधानमंत्री आवास योजना एएचपी डीपीआर 1 मुखर्जी नगर एवं डोसी गांव तथा सीवरेज वार्ड क्रमांक 26 से 49ए श्री ब्रजेष कुषवाह को उपयंत्री वार्ड क्रमांक 17 से 24ए लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यए भवन अनुज्ञाए सीएम इन्फ्रा एवं मिनी स्मार्ट सिटीए कालोनी सेलए पीएमएवाय अन्र्तगत बीएलसीए निर्वाचन एवं जनगणनाए अमृत योजना.नाला सुदृढ़ीकरणए ग्रीन स्पेसए उपयंत्री उद्यानए मेन्टेनंेन्स संबंधी समस्त कार्य वार्ड क्रमांक 1 से 49 तथा विकास षाखा वार्ड क्रमांक 1 से 25ए श्री मनीश तिवारी उपयंत्री वार्ड क्रमांक 25 से 32ए लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यए भवन अनुज्ञाए सीएम इन्फ्रा एवं मिनी स्मार्ट सिटीए कालोनी सेलए पीएमएवाय अन्र्तगत बीएलसीए निर्वाचन एवं जनगणनाए उपयंत्री

कर्मषाला विभाग तथा सिटी ट्रांसपोर्टए सुश्री दीक्षा निजामपुरकर को उपयंत्री वार्ड क्रमांक 33 से 40ए लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यए भवन अनुज्ञाए सीएम इन्फ्रा एवं मिनी स्मार्ट सिटीए कालोनी सेलए पीएमएवाय अन्र्तगत बीएलसीए निर्वाचन एवं जनगणनाए प्रधानमंत्री आवास योजना एएचपी घटक अन्र्तगत डीपीआर 3 बंजलीए आईएचएचएल वार्ड क्रमांक 26 से 49 व सीवरेज वार्ड क्रमांक 1 से 25 तथा श्रीमती अनिता ठाकुर को उपयंत्री वार्ड क्रमांक 41 से 49ए लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यए भवन अनुज्ञाए सीएम इन्फ्रा एवं मिनी स्मार्ट सिटीए कालोनी सेलए पीएमएवाय अन्र्तगत बीएलसीए निर्वाचन एवं जनगणनाए प्रधानमंत्री आवास योजना एएचपी घटक अन्र्तगत डीपीआर 2 डोसी गांवए आईएचएचएल वार्ड क्रमांक 1 से 25 व विकास षाखा वार्ड क्रमांक 26 से 49 तक का दायित्व सौंपा है।
निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्वास्थ्य विभाग में श्री विनय सिंह चौहान को झोन क्रमांक 3 का झोन प्रभारीए श्री पर्वत हाड़े को झोन क्रमांक झोन क्रमांक 1 का झोन प्रभारीए श्री किरण चौहान को झोन क्रमांक 4 का झोन प्रभारी नियुक्त किया वहीं उप स्वच्छता पर्यवेक्षक श्री सौरभ काला को वार्ड क्रमांक 15 के वार्ड प्रभारी का दायित्व सौंपा।

खुले में गंदगी करने पर 3व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 4 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 3 अक्टूबर सोमवार को खुले में गंदगी करने वाले 3 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार खुले में गंदगी करने पर राजेषए अजय स्टेषन रोड पर 500.500 व अफसार पावर हाउस रोड पर 100 रूपये का जुर्माना कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी गई।
नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वालेए अतिक्रमण करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंह मोण नंण 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े

मो० नं० 7471144931ए श्री किरण चौहान मो०नं० 7471144932ए श्री विनय चौहान मो०नं० 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो०नं० 7000128812ए आकाष षिन्दे मो०नं० 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो०नं० 6268449110ए राकेष ललावत मो०नं० 7000128812 को देकर नगर को साफ.स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

4 अक्टूबर को 97 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा
नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन
रतलाम 04 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टैªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 04 अक्टूबर सोमवार को 97 टन कचरा जुलवानिया टैªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।
04 अक्टूबर सोमवार को डम्पर से 41550ए टैªक्टर से 7240ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 22145 व गीला कचरा 26500 किलो इस तरह कुल 97435 किलो कचरा जुलवानिया टैªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

नगर निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुश्मान कार्ड

रतलाम 04 अक्टूबर । आयुश्मान भारत श्शनिरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःषुल्क आयुश्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे है इस हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारेां पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुश्मान भारत श्शनिरामयम’ ’ योजना के तहत नगर के षेश रहे पात्र हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड नगर निगम के विकास षाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे है।

आयुश्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया है कि रतलाम नगर के षेश रहे हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड निःषुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

1467 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 27 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 04 अक्टूबर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु राषि रूपये 10ए000ध्. ब्याज मुक्त ऋण हेतु 3373 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1705 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 1427 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु राषि रूपये 20ए000ध्. ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 38 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 150 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 209 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 35 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 25 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 5 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 3 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 2 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 2 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 04 अक्टूबर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव निरंतर जारी
रतलाम 04 अक्टूबर । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।
निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार प्रत्येक झोन में एक.एक डबल बैरल

फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05ः30 से 08ः00 बजे तक व शाम को 06ः00 से रात 10ः00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक.एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाषक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 04 अक्टूबर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिशठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 अक्टूबर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक. पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो

पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 अक्टूबर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्04ण्10ण्2021ध्नण्पाण्निगमए रतलामण